किशनाराम बनाम हरिराम
2008 / 00025
मैन्युअल नंबर 65 / 2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2008 / 00025 दर्ज तिथिः—20.08.2008

1. किशनाराम पुत्र तेजाराम
2. सुखराम पुत्र तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

...........................वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. साजनराम पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम
   2 / 1 नेनू पत्नी साजन
   2 / 2 राजू पुत्र साजन
   2 / 3 रामजीवण पुत्र साजन
   2 / 4 किशना पुत्र साजन फौत के कायम मुकाम
   2 / 4 / 1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
   2 / 4 / 2 शैतान पुत्र किशनाराम
   2 / 4 / 3 सोमी पत्नी किशनाराम
3. जेताराम पुत्र कानाराम
4. श्रीराम पुत्र कानाराम
5. हरिराम पुत्र कानाराम
6. मोहन पुत्र मंगलाराम
7. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
8. सुगणी बेवा मंगलाराम
   जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

.........................असल प्रतिवादीगण

9. प्रबन्धक,एसबीआई धोरीमन्ना
10. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

...................तकमिली प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री ओमप्र[illegible]श्नोई
प्रतिवादीः—गंगारा[illegible]नोई

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

किशनाराम बनाम हरिराम
2008/00025
मैन्युअल नंबर 65/2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–18.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है जो मतवफी शेराराम की वारिश है । शेराराम के 2 पुत्र काछबाराम व मिसरीराम हुए । वक्त सैटलमेन्ट ग्राम अजाणियों की ढाणी में शेराराम के समय की पैतृक आराजी मौजा गडरा पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 83/11.8735 है0, का सैटलमेन्ट दर्ज हुआ। सैटलमेन्ट में पैतृक संपति के अनुसार वादीगण का उक्त खसरे में 1/2 हिस्सा मय खातेदार के रूप में दर्ज होना था परन्तु सैटलमेन्ट अधिकारियों की भूल के कारण पर्चा लगान में खेत खसरा संख्या 83 में वादीगण के पिता तेजा पुत्र मोबता का 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया । वादीगण के अन्य खसरा संख्या 199 में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है इसी अनुसार उक्त खसरें में भी वादीगण हिस्सा घोषित करने के अधिकारी है। वादीगण ने खसरों की मिसल बन्दोबस्त पेश की ।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 से 8 उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के अनुसार खसरा संख्या 83 में वादीगण का अन्य खेत के खसरों में हिस्सा समायोजित किया जाकर उक्त खसरें में 3/8 हिस्सा यानि 27–10 बीघा भूमि का वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पक्ष में राजीनामा अनुसार 5/8 हिस्सा घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण उक्त 5/8 हिस्से में काछबा के 3 वारिशों के रूप में अपना–अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होगे। इसी अनुसार सभी का हिस्सा घोषित करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति पेश की है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

4. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पेश राजीनामा अनुसार घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर [illegible] व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के [illegible]। प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष [illegible] गया है। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जरिये राजीनामा अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 83/11.8735 है0 वाके ग्राम गडरा पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण का 3/8 हिस्सा होने से वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 3/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 5/8 हिस्सा होने से प्रतिवादी संख्या 1 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का 5/96 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 2/4/1 से 2/4/3 का प्रत्येक का 5/288 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 5/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 5/288 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 18.03.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

18/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

किशनाराम बनाम हरिराम
2008/00025
मैन्युअल नंबर 65/2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः-2008/00025 दर्ज तिथिः-20.08.2008

1. किशनाराम पुत्र तेजाराम
2. सुखराम पुत्र तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
   ....वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. साजनराम पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 नेनू पत्नी साजन
   2/2 राजू पुत्र साजन
   2/3 रामजीवण पुत्र साजन
   2/4 किशना पुत्र साजन फौत के कायम मुकाम
   2/4/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
   2/4/2 शैतान पुत्र किशनाराम
   2/4/3 सोमी पत्नी किशनाराम
3. जेताराम पुत्र कानाराम
4. श्रीराम पुत्र कानाराम
5. हरिराम पुत्र कानाराम
6. मोहन पुत्र मंगलाराम
7. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम
8. सुगणी बेवा मंगलाराम
   जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर
   ....असल प्रतिवादीगण

9. प्रबन्धक,एसबीआई धोरीमन्ना
10. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
    ....तकमिली प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः-श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः-गंगाराम विश्नोई

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

किशनाराम बनाम हरिराम
2008/00025
मैन्युअल नंबर 65/2015
निर्णय दिनांकः 18.03.2025

निर्णय दिनांकः—18.03.2025

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 83/11.8735 है0 वाके ग्राम गडरा पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण का 3/8 हिस्सा होने से वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 3/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 5/8 हिस्सा होने से प्रतिवादी संख्या 1 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का 5/96 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 2/4/1 से 2/4/3 का प्रत्येक का 5/288 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 5/96 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का 5/288 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

18/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested